भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 272

जिसका उत्तर 27.11.2024 को दिया जाना है

सड़क परियोजनाओं हेतु जल निकायों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा

272. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सड़क परियोजनाओं के लिए जल निकायों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने के लिए कोई तंत्र है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुआवजा संबंधित राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय निकायों को दिया गया है जिसके अंतर्गत ऐसे जल निकाय आते हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पारिस्थितिक और भूजल संतुलन बनाए रखने के लिए अधिगृहीत जल निकायों के मुआवजे के रूप में नए जल निकाय बनाने का कोई प्रस्ताव है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हाँ। सरकार सामान्य तौर पर संरेखण को अंतिम रूप देते समय जल निकायों से बचने का सर्वोत्तम प्रयास करती है। यदि संरेखण को जल निकाय को बायपास करने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) सड़क परियोजनाओं के लिए जल निकाय के अधिग्रहण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार मुआवज़ा दिया जाता है।

(ख) जी, हाँ। मुआवज़ा भूमिधारकों को दिया जाता है, फिर चाहे वे राज्य सरकार हों या स्थानीय निकाय। तथापि, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार स्थानीय निकायों के मुआवज़े में जल निकाय सहित भूमि के साथ-साथ संरचनाओं के एवज में दिया जाने वाला मुआवज़ा शामिल है। राज्य सरकार को मुआवज़ा केवल संरचना के एवज में दिया जाता है।

(ग) और (घ) संरचनाओं के मुआवज़े के अंतर्गत जल निकायों की क्षति या अधिग्रहण के एवज में दिया जाने वाला मुआवज़ा शामिल है। हालाँकि, सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर के रूप में जल निकायों के निर्माण को बढ़ावा देती है, जिसके तहत भूमिधारकों को बगैर उनकी किसी लागत के सहमत गहराई तक खुदाई करने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

*****